आदेश द्वारा अतुल कुमार शुक्ल प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छ.ग.
सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर
✉ cwlwcg@gmail.com (☎0771-2512880)

आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/52 नवा रायपुर, दिनांक 19/03/2020

//आदेश//

कोरोना वाइरस (COVID-19) का संक्रमण अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इससे बचाव हेतु त्वरित रूप से सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के दृष्टिगत वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 33(ब) सहपठित धारा 27(1) एवं धारा 28(द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये छत्तीसगढ़ के समस्त संरक्षित क्षेत्रों यथा समस्त टायगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में दिनांक 19.03.2020 से 31.03.2020 तक पर्यटक गतिविधियॉ निषिद्ध की जाती हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अतुल कुमार शुक्ल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/1523 नवा रायपुर, दिनांक 19/03/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सहायक माननीय वन मंत्री जी। कृपया माननीय वन मंत्री जी की जानकारी में लाने का कष्ट करेंगे।
2. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के स्टॉफ आफिसर ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के स्टॉफ आफिसर।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी/क्षेत्रीय) एवं वन संरक्षक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा।
5. समस्त संचालक/उप संचालक/अधीक्षक संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर